

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (BNS 163)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29/8/25

आदेश

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल काण पृष्ठा के अध्ययन करने, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष की स्वामित्वान्नी भूमि है। द्वितीय पक्ष सिर्फ शैक्षिक लक्ष्य से उक्त जमीन को प्राप्त कर लाते हैं। भूमि के वैध अंतरण संबंधी कोई मागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दावा उचित प्रतीत नहीं होता है तथा निषेधण को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त (vacant) तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष (absolute) घोषित किया जाता है। उक्त आदेश के तत्पश्चात् काद की कार्यवाही समाप्त घोषित की गयी है।

लेखापति एवं संशोधित

29/8/25

SDM Baramulla

29/8/25